

Extracts Of Cheque Collection Policy

Immediate Credit Facility

Immediate credit facility of outstation cheques and local cheques only at centers where no formal clearing house exists for amounts not exceeding Rs.15,000/- [Rupees Fifteen Thousand Only] is available to customers subject to satisfying certain conditions.

Time Frame For Collection Of Local Cheques

Subject to any exigencies, the Bank shall endeavour to collect local cheques strictly in accordance with the regulatory and clearing house norms as applicable to each centre.

Time Frame For Collection Of Outstation Cheques

All efforts including multi city access will be used to the best extent possible for giving speedier credit to the customer account for outstation cheques. Outstation cheques sent for collection to centers within the country the following time norms shall be applied:

No	Location	Timelimits (maximum Period)
1	Cheques deposited at any of the bank branches and payable at the state capitals.	Credited within a maximum period of seven days. Days would be calculated excluding the intervening holidays at both the deposit location and the payable location.
2	Cheques drawn on major cities (as identified by the Bank from time to time)	Credited within a maximum period of 10 days from the date of deposit. Days would be calculated excluding the intervening holidays at both the deposit location and the payable location.
3	Cheques drawn on centers other than stated above	Will be credited within a maximum period of 14 days from the date of deposit. The days would be calculated excluding the intervening holidays at both the deposit location and the payable location

Bank would take all required steps to follow-up for early realization of cheques and hence any realizations with delays cannot be generalized and are required to be decided based on circumstances on a case to case basis. In cases where Bank or its agents has delivered the outstation cheque/s to the clearing / drawee bank and thereafter the onus would be on the clearing bank to clear the instrument/s as per the time lines laid down by RBI. In the event of unjustified delays by the clearing / drawee bank, Bank would determine the eligibility of interest payments for delayed realization in such cases.

Interest payment for delayed collection

The bank will pay interest as indicated below to its customers in case there is a delay in crediting the proceeds beyond the time period mentioned above in respect of outstation cheques accepted for collection where bank has its own branches or there is an arrangement with the correspondent bank/s

- Delay beyond the time frame indicated above but within forty five days from the date of deposit Savings Bank rate as prescribed by Reserve Bank of India from time to time. .
- Delay beyond 45 days from the date of deposit - Term deposit rate for the respective period as published by the bank from time to time.
- Extraordinary delay, i.e. delays exceeding 90 days from the date of receipt - 2% above the corresponding Term Deposit rate.
- In the event the proceeds of cheque under collection were to be credited to an overdraft / loan account of the customer, interest will be paid at the rate applicable to such overdraft / loan account. For extraordinary delays, interest will be paid at the rate of 2% above the rate applicable to the overdraft / loan account.

चेक उगाही नीति के सत्व

तुरंत क्रेडिट सुविधा

कुछ खास शर्तें पूरी करने वाले ग्राहकों को रु. १५,०००/- (रुपए पंद्रह हजार) से कम राशि वाले बाहरी और स्थानीय चेकों के लिए केवल उन केंद्रों पर तुरंत क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर समाशोधन (क्लीयरिंग) का कोई औपचारिक केंद्र नहीं है।

स्थानीय चेकों को भुनाने के लिए समयावधि

किसी भी अत्यावश्यकता के अधीन, बैंक हर केंद्र पर लागू नियामक और समाशोधन (क्लीयरिंग) केंद्र के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए स्थानीय चेक भुनाने की कोशिश करेगा।

बाहरी चेकों को भुनाने के लिए समयावधि

अनेक शहरों तक पहुँच सहित बाहरी चेकों को ग्राहक के खाते में तेजी से क्रेडिट करवाने के लिए हर संभव स्तर तक प्रयास किया जाएगा। भुनाने के लिए देश के अंदर ही बाहरी चेकों को भेजे जाने पर समय संबंधी निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

क्रमांक	स्थान	समयावधि (अधिकतम अवधि)
१.	बैंक की किसी शाखा में जमा कराए गए और राज्य की राजधानियों में देय चेक	ज्यादा से ज्यादा सात दिनों की अवधि में क्रेडिट किए जाते हैं। दिनों की गणना जमा किए जाने वाले स्थान और देय स्थानों में आने वाली छुट्टियों को छोड़कर की जाती है।
२.	मुख्य शहरों पर आरेखित चेक (बैंक द्वारा समय समय पर बताए गए)	जमा कराने की तिथि से ज्यादा से ज्यादा १० दिनों की अवधि में क्रेडिट किया जाएगा। दिनों की गणना जमा किए जाने वाले स्थान और देय स्थानों में आने वाली छुट्टियों को छोड़कर की जाती है।
३.	ऊपर बताए गए केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर आरेखित चेक	जमा कराने की तिथि से ज्यादा से ज्यादा १४ दिनों की अवधि में क्रेडिट किया जाएगा। दिनों की गणना जमा किए जाने वाले स्थान और देय स्थानों में आने वाली छुट्टियों को छोड़कर की जाती है।

चेकों को जल्दी भुनाने के लिए बैंक सभी आवश्यक कदम उठाएगा और इसीलिए यदि किसी चेक को भुनाने में देर हो जाए तो उसे सामान्यकृत नहीं किया जा सकता और उसे हर मामले की परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। जिन मामलों में बैंक या उसके एजेंटों ने बाहरी चेक/को को समाशोधन के लिए भुगतानकर्ता बैंक के पास भेज दिया गया है, तो उसके बाद चेक का समाशोधन आरबीआई द्वारा स्थापित समयावधियों के अनुसार करने का भार भुगतानकर्ता बैंक पर होना चाहिए। समाशोधन करने वाले/भुगतानकर्ता द्वारा अनुचित देरी होने के मामलों में देरी से हुए भुगतान के लिए बैंक ब्याज दरों की योग्यता निर्धारित करेगा।

देरी से हुई वसूली के लिए ब्याज का भुगतान

जहाँ पर बैंक की अपनी शाखाएँ हैं या सम्पर्की बैंक/को के साथ व्यवस्था है ऐसी जगहों पर भुनाने के लिए स्वीकार किए गए बाहरी चेकों के संदर्भ में पूँजी को क्रेडिट करने में ऊपर बताये गए समयावधि से ज्यादा देर हो जाने पर बैंक अपने ग्राहकों को नीचे बताए अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा।

- ऊपर बताई गई समयावधि के अनुसार देर से लेकिन जमा कराने की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर-भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर बताए अनुसार बचत खाते की दर से।
- जमा कराने की तिथि से ४५ दिनों से ज्यादा देरी हो जाने पर- संबंधित अवधि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित सावधि जमा दर।
- असाधारण देरी यानि कि जमा कराने की तिथि से ९० से ज्यादा दिनों की देरी-संबंधित सावधि जमा दर से २% ज्यादा।
- यदि भुनाने के लिए आए चेक की पूँजी ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/लोन अकाउंट के लिए क्रेडिट की जानी है, तो ब्याज इस तरह के ओवरड्राफ्ट/लोन अकाउंट पर लागू दर पर भुगतान किया जाएगा। असाधारण देरी के लिए, ओवरड्राफ्ट/लोन अकाउंट पर लागू दर से २% ज्यादा दिया जाएगा।